

1. आधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम **पिम्पु. आर्जिव**
 2. वर्तमान धारित पद **आयपालन यंत्री**
 3. वर्तमान धारित पद
 4. वर्तमान वेतन
 5. आगामी पतनवृद्धि का तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा कार्य		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
3000 वार्ड 45		HIG 13/4 L.P. आर्जिव भार्ज	30 वारड	स्विसि यंत्राल आर्जिव (आगामी)	30000 विक्रय प्रधिकरण	Nil	

हस्ताक्षर

पदनाम **आयपालन यंत्री**
 नाम **पिम्पु. आर्जिव**

मो. नं.

- 1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- 3- इसमें अलोकसंगत पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : भा. 5 शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1950 के नियम 16 (3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अवकाश उत्तं विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवकाश सम्पत्ति के ब्यौर दें।